2-4 दिसंबर, 2021 को हेलीपैड एक्ज़ीबिशन सेंटर,गांधीनगर, गुजरात में टी बोर्ड भारत के साथ आयोजित होने वाले वर्ल्ड टी एंड कॉफी एक्सपो 2021 में भागीदारी के संबंध में परिपत्र

ए. पात्रता

1. वर्ल्ड टी एड कॉफी एक्सपो 2021 मे टी बोर्ड के साथ भाग लेने के इच्छुक चाय कंपनियो को टी बोर्ड के साथ पंजीकृत होना होगा। उपरोक्त के संबध मे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र के साथ वैध लाइसेस (जैसे आरसीएमसी, बायर्स लाइसेस या एक्सपोर्टर्स लाइसेस) की प्रतिया कपनी की मुहर सहित जमा करनी होगी ।

2. कंपनी/आवेदक अपनी कंपनी/आवेदक की मुहर सहित अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक अडरटेकिंग प्रस्तुत करेगी , जिसमे यह उल्लेख होना चाहिए कि यह कपनी वाणिज्य एव व्यवसाय से सबंधित किसी भी आधार पर किसी भी जाच के अधीन /आरोप के अधीन /अभियोजित/विवर्जित/ब्लैक लिस्टेड नही है।

3. कंपनी को वर्ल्ड टी एड कॉफी एक्सपो 2021 मे केवल 100% भारतीय जैविक चाय की ही प्रदर्शनी/बिक्री करनी होगी।

बी. आवेदन की प्रक्रिया

1. भागीदारी के लिए इच्छुक चाय कंपनियो/आवेदको को भागीदारी मे अपनी अभिरुचि की सूचना देते हुए टी बोर्ड को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। टी बोर्ड के साथ प्रदर्शनियो मे भाग लेने के लिए आवेदन पर नीचे दिए गए दिशा-निर्देशो के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज और भागीदारी शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।

2. टी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि से पहले किसी भी आवेदन/सूचना पर विचार नही किया जाएगा।

3. सबंधित मेलो/प्रदर्शनियो के लिए भागीदारी शुल्क के साथ आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि इस परिपत्र के वेबसाइट मे प्रकाशन/ टी एसोसियेशन मे परिचालित होने के 5 दिनो मे है।

4. इच्छुक चाय कंपनियो को अपनी कपनी को आवंटित बिल्ट-अप स्पेस की कुल लागत का 40% वहन करना होगा। आवेदको को एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से 40,000/- रुपये की भागीदारी शुल्क का भुगतान **" टी बोर्ड बाज़ार सवर्धन "** के पक्ष मे एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से करनी होगी एव भुगतान पश्चात उनके आवेदन पत्र के साथ यूटीआर सख्या जमा करनी होगी । प्रत्येक अलग-अलग मेले/प्रदर्शनी मे भाग लेने के लिए अतिरिक्त/अव्ययित राशि को कपनी के वास्तविक लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। यदि 9 वर्गमीटर वाली स्टॉल की कुल लागत 40,000/- रुपये से अधिक , तो अतिरिक्त राशि का भुगतान कंपनी द्वारा टी बोर्ड को करनी होगी।
   यह राशि नीचे दिये गए खाते मे एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा जमा की जाएगी :
   Account No: 00260200000807
   Account Name: “Tea Board Market Promotion Scheme”
   IFSC: BARB0BRABOU
   Bank: Bank of Baroda
   Branch: Brabourne Road, Kolkata.

सी. जमा किए जाने वाले दस्तावेज :

1. मुहर और हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षरित आवेदन पत्र ;
2. टी बोर्ड टीएमसीओ 2003/खरीदारों के पंजीकरण द्वारा जारी नवीनतम लाइसेंस की स्व-प्रमाणित प्रति
3. टी बोर्ड के साथ कंपनी के पंजीकरण के साक्ष्य वाले प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां
4. चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित पिछले तीन वित्तीय वर्षों के वार्षिक कारोबार प्रमाण पत्र
5. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न की प्रतियां ;
6. कंपनी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्व-घोषणा, जिसमें यह उल्लेख होना चाहिए कि यह कंपनी वाणिज्य एवं व्यवसाय से संबंधित किसी भी आधार पर किसी भी जांच के अधीन /अ /अभियोजित/विवर्जित/ब्लैक लिस्टेड नहीं है।
7. कंपनी के लेटरहेड पर दी गई घोषणा की स्कैन कॉपी
8. सरकार या किसी अन्य संगठन के किसी अन्य योजना से विशेष कार्यक्रम के लिए लाभ नहीं लेने की घोषणा की स्कैन की गई प्रति
9. कंपनी/आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्व-घोषणा, कि कंपनी/आवेदक टी बोर्ड इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए स्टॉल से केवल भारतीय चाय प्रदर्शित और बेचेगा।
10. गैर-प्रतिभागियों के भागीदारी शुल्क और आवेदन शुल्क त्याग देने के संबंध में आवेदक द्वारा दी जाने वाली घोषणा की हस्ताक्षरित प्रति , यदि वे आयोजन से 15 दिन या उससे कम समय से पहले भागीदारी से बाहर हो जाते हैं।
11. आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित स्टांप पेपर पर घोषणा करते हुए स्व-घोषणा कि आवेदक सुसज्जित बूथ के लिए शुल्क की अंतिम गणना के बाद भागीदारी के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए सहमत है। यदि चाय कंपनी उस अतिरिक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहती है, तो टी बोर्ड उस विशेष कंपनी के पंजीकरण/लाइसेंस/पहचान को रद्द/निलंबित करने और कंपनी को काली सूची में डालने के लिए स्वतंत्र है।
12. लघु चाय उत्पादकों (एसटीजी) के मामले में एसटीजी स्मार्ट कार्ड की प्रति
13. एससी/एसटी एसटीजी के मामले में प्रमाण के रूप में एससी/एसटी प्रमाण पत्र ।

उपरोक्त सभी दस्तावेजों में कंपनी/आवेदक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के साथ कंपनी/आवेदक की मुहर होनी चाहिए।

डी. शर्तें व निबंधन

1. चाय बोर्ड के साथ वर्ल्ड टी एंड कॉफी एक्सपो 2021 में भाग लेने के लिए, प्रत्येक प्रतिभागी कंपनी को यथासंभव न्यूनतम विशिष्ट स्थान प्रदान किया जाना है।

2. बोर्ड के स्टालों से केवल भारतीय जैविक चाय प्रदर्शित की जा सकती है। गैर-चाय उत्पाद (अर्थात कैमेलिया साइनेंसिस संयंत्र से प्राप्त उत्पाद नहीं) या अन्य पेय पदार्थों के साथ-साथ भारत के अलावा अन्य मूल चाय को स्टालों से प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी को गंभीरता से लिया जाएगा।

3. प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना है कि उनके प्रदर्शन को सौंदर्यपूर्ण तरीके से रखा गया है और उनके आवंटित स्थान को प्रदर्शनी की पूरी अवधि के दौरान ठीक से व्यवस्थित किया गया है।

4. जिन चाय कंपनियो के पास प्रदर्शित करने के लिए उत्पादो और नमूनो की एक बड़ी श्रृंखला है, जिन्हे अधिक स्थान की आवश्यकता है, उन्हे वास्तविक लागत पर अतिरिक्त स्थान प्रदान किया जा सकता है यदि चाय बोर्ड का बजट अनुमति देता है और यदि अन्य प्रतिभागियो को समायोजित करने के बाद चाय बोर्ड के बूथ के साथ अतिरिक्त स्थान प्राप्त करना सभव है, बशर्ते वे अपनी आवश्यकता को पहले से ही बता दे। पैकेज्ड उत्पादो के पर्याप्त और विविध प्रदर्शन के माध्यम से बढ़ी हुई जगह का उचित उपयोग किया जाना चाहिए।

5. समूह कंपनियो के लिए केवल एक आवेदन पर विचार किया जाएगा जहां पूरे समूह को एक आवेदक माना जाएगा।

6. टी बोर्ड द्वारा आवश्यक स्थान उपलब्ध नही करा पाने के कारण कंपनी/आवेदक द्वारा एक अलग स्टॉल से भाग लेने के विकल्प के मामले मे, टी बोर्ड लागत वहन नही करेगा या स्टॉल स्थान की प्रतिपूर्ति पर विचार नही करेगा।

7. किसी विशेष आयोजन/मेले/प्रदर्शनी मे उपलब्ध स्थान से अधिक सख्या मे आवेदन करने वाले आवेदको की स्थिति मे महत्व के अवरोही क्रम मे निम्नलिखित श्रेणियो को वरीयता दी जाएगी:

(1) मूल्य वर्धित/जैविक चाय/विशेष चाय मे काम करने वाली कंपनिया/आवेदक (25%)

(2) एमएसएमई

(3) लघु चाय उत्पादक/एसएचजी एव लघु उत्पादको का एफपीसी

(4) अनु.जा एव अनु.जनजा लघु उत्पा

(5) बड़ी कंपनिया

यदि किसी विशेष श्रेणी मे अधिक सख्या मे प्रतिभागी है, उस विशेष श्रेणी के लिए आवेदक का चयन लॉट के माध्यम से किया जाएगा।

एसटीजी को रुपये 1180/- को छोड़कर स्टाल के लिए प्रत्येक भागीदारी शुल्क के रूप मे किसी भी शुल्क से छूट दी जाएगी। एक स्टॉल से 2/3 एसटीजी भाग ले सकते है। 2 से अधिक एसटीजी प्रतिभागियो के होने की स्थिति मे, चयन लॉट के माध्यम से किया जाएगा । एससी और एसटी छोटे उत्पादको के प्रतिभागियो के लिए कोई भागीदारी शुल्क नही होगा। तथापि, सभी मामलो मे, चाय बोर्ड अनुमोदित प्रतिशत हिस्से के अनुसार स्टॉल के लिए केवल किराया प्रभार वहन करेगा। कोई अन्य शुल्क जैसे, यात्रा, आवास, नमूना उपकरण, रसद, अतिरिक्त साज-सज्जा और अन्य आकस्मिक शुल्क आदि चाय बोर्ड द्वारा वहन नही किए जाएंगे।

8. आवेदको की भागीदारी शुल्क जब्त कर ली जाएगी यदि वे आयोजन के प्रारभ से 15 दिनो से कम समय मे कार्यक्रम से बाहर होने की सूचना देते है । यदि 15 दिन से अधिक समय पहले एक आवेदक द्वारा कार्यक्रम से बाहर निकलने की सूचना के संबंध मे यदि एक वैकल्पिक प्रतिभागी स्टॉल स्थान लेने के लिए नही पाया जाता है, तब भी आवेदक द्वारा जमा किए गए धन को जब्त कर लिया जाएगा।

9. टी बोर्ड केवल साधारण सुसज्जित स्टॉल स्थान उपलब्ध कराएगा। अन्य सभी आवश्यकताए जैसे यात्रा, आवास, नमूना उपकरण, रसद, अतिरिक्त साज-सज्जा और अन्य आकस्मिक शुल्क का व्यवस्थ कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।

10. यदि आवेदक द्वारा प्रदान किया गया कोई भी विवरण गलत पाया जाता है और यदि कोई प्रासंगिक जानकारी छिपी हुई पाई जाती है, तो टी बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सहायता की राशि को ब्याज दरो @ रेपो दर + 5% के साथ वापस करना होगा।

11. विवाद के सभी मामला म, सलाहकार समिति, चाय बाड का निणय अतिम और बाध्यकार होता है।

इ. विवादा का समाधान

किसी भी आवेदन से उत्पन्न होने वाले किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति म, उपाध्य , चाय बाड का निणय अतिम और बाध्यकारी होगा।

एफ. आवेदन जमा करना

1. सहायता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक आवश्यक सहायक दस्तावजा के साथ निधारित प्रारूप म अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करग।

2. सहायता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक अपना आवेदन निधारित प्रपत्र म आवश्यक सहायक दस्तावजा के साथ ऑनलाइन उपनिदशक, टी बाड, 14 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता-700001 को जमा कर

3. दावा की वैधता के बारे म मजूरी देने वाले प्राधिकारी के सतुष्ट होने के बाद, ई-भुगतान तत्र के माध्यम से धन जारी किया जाएगा। आरटीजीएस/एनइएफटी/पीएफएमएस। उप-घटक के प्रशासनिक और परिक्षण व्यय को आवटित निधि से वहन किया जाएगा।

जी. उप-घटक म संशोधन

टी बाड अपने विवक से, योजना के कुशल और प्रभावी निष्पादन और अपने उद्दश्या की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे जाने के बिना उप-घटक के किसी भी नियम और शर्ता म संशोधन, विस्तार या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

<u>एन.बी.</u>

ऐसे व्यक्तियों के आवेदन जो स्वीकृति प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव, पुरस्कार, उपहार या कोई भौतिक लाभ, या कोई जबरदस्ती करने का सहारा लेते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

<u>2-4 दिसंबर हेलीपैड एक्जडीबिशन सेंटर, गांधीनगर,गुजरात में आयोजित वर्ल्ड टी एंड कॉफी एक्सपो 2021 का आवेदन</u>

क्रम. सं	**विषय**	**विवरण**
1	फर्म/कंपनी/संगठन का नाम	
2	पूण सचार ानदशाक (इ-मेल, टलाफान नबर, मोबाइल नंबर, पंजीकृत कायालय का पता)	
3	आयोजन म भाग लेने वाले आधकारा का नाम	
4	समूह कंपनी का नाम	
5	चाय बाड क साथ पंजीकरण दशान वाले दस्तावजा का नाम और सख्य	
6.	ापछल 3 ावत्ताय वषा म कपना का वााषक काराबार (ापछल 3 वषा म स प्रत्यक क ालए अलग स उल्लख कर) वष 1 वष 2 वष 3	
7	मागादारा क ालए मल/प्रदशना/बाएसएम का ाववरण नाम: शहर: राज्य: आयाजन का अवाध................ स ....तक	
8.	क्य अन्य सरकार से सहायता प्राप्त का गई है क्रमाव 7 पर सदभ के अतगत आयोजन के ालए ानकाय/ईपीसी/कमााडटा बाड/एपीडा/एमपीईडीए/आइटापाआ आाद।	

घोषणा

म/हम सत्यानष्ठ से वचन देते/घोषणा करते ह ।क ऊपर वाणत ।ववरण मरा/हमारा सवात्तम जानकारा और ।वश्वास के अनुसार सत्य और सहा ह।

कोई भी जानकारा, याद गलत, या भ्रामक पाई जाती है, तो हम चाय बाड के साथ आगामी कायक्रमा म हमारा भागादारा को अस्वाकार करने के ।लए उत्तरदाय हाग, इस संबंध म हमारे ।खलाफ का जाने वाला ।कसा भी अन्य कारवाइ पर प्रातकूल प्रभाव डाले ।बना।

याद जांच के पारणामस्वरूप मुझे/हम कोई आतारक्त भुगतान ।कया गया पाया जाता है, तो इसे मरा/हमारा फम द्वारा ।कए जाने वाले ।कसा भी बाद के दावा के ।वरुद्ध समायोजित ।कया जा सकता है या याद बाद म कोई दावा पाइपलाइन म नहा है , आधक भुगतान का गई राश मेरे/हमारे द्वारा भुगतान का गई आतारक्त राश का सीमा तक वापस कर दा जाएगी।

हस्ताक्षर____________________________

नाम (माट अक्षरा म) ____

पद____

आवेदक का नाम ____ फम ___

कायालय साल___________________________________

स्थान:

।दनाक: